actionaid
ActionAid Association (India)

www.actionaidindia.org
@actionaidindia
actionaidcomms
@company/actionaidindia
actionaid_india
ActionAid Association
F-5 (First Floor), Kailash Colony New
Delhi -110048
+911-11-40640500

actionaid
ActionAid Association (India)

न्यायसंगत भविष्य के लिए एकल नारियों की कार्यसूची

न्यायसंगत भविष्य के लिए एकल नारियों की कार्यसूची

actionaid
ActionAid Association (India)

न्यायसंगत भविष्य के लिए एकल नारियों की कार्यसूची

May, 2024

Some rights reserved. This work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial-ShareAlike 4.0 International License. Provided they acknowledge the source, users of this content are allowed to remix, tweak, build upon and share for non-commercial purposes under the same original license terms.

actionaid
ActionAid Association (India)

www.actionaidindia.org @actionaidindia
@actionaidcomms @company/actionaidindia @actionaid_india

ActionAid Association, F-5 (First Floor), Kailash Colony, New Delhi -110048.
+911-11-40640500

विषय सूची

भूमिका 01

वर्तमान स्थिति 02

न्यायसंगत भविष्य के लिए एकल नारियों की कार्यसूची 04

1. एकल नारी की पहचान 04

2. एकल नारियों की परिभाषा एवं पहचान 06

3. चालू कार्यक्रमों और योजनाओं में एकल नारियों को प्राथमिकता 07

4. महिलाओं का संपत्ति का अधिकार 09

5. आर्थिक सशक्तिकरण 10

6. एकल नारियों के खिलाफ हिंसा का संबोधन 11

7. कलंक और भेदभाव का संबोधन 12

8. हाशिए पर रहने वाले वर्गों की एकल नारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा 13

9. स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुँच 14

10. वास भूमि और आश्रय का प्रावधान 14

11. कमजोर परिस्थितियों में एकल नारियाँ 16

12. डायन का ठप्पा 18

भूमिका

लगभग दो शताब्दियों से समाज सुधारक, भारत में विधवाओं की स्थिति को लेकर चिंतित रहते आए हैं। विधवाओं की दुर्दशा के संबंध में जागरूकता जगाने और सामाजिक सुधारों पर जोर देने के महत्वपूर्ण काम में राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और पंडिता रमाबाई जैसे समाज सुधारकों के प्रयासों से अंग्रेज सरकार को विभिन्न नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए विवश होना पड़ा। इन नीतियों और कानूनों के कारण उनकी दुर्दशा में कमी आई। सती प्रथा, जिसके चलते विधवाओं से अपने पति की चिता पर आत्मदाह करने की अपेक्षा की जाती थी, उसे सन् 1829 में अंग्रेज सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया गया। लेकिन, इससे जुड़ा सामाजिक दबाव और कलंक कायम रहा। इसके अतिरिक्त, उत्तराधिकार कानूनों ने अक्सर विधवाओं को हाशिए पर बनाए रखा और पुरुष रिश्तेदारों ने उन्हें शोषण के प्रति संवेदनशील बनाया।

विधवा पुनर्विवाह आंदोलन 19स्वीं सदी में विधवाओं के साथ होने वाले भेदभाव और सामाजिक कलंक की प्रतिक्रिया के रूप में उभरा। इस दौरान, भारत में विधवाओं को आम तौर पर बहिष्कृत और बुनियादी अधिकारों से वंचित रखा जाता था। इसके साथ-साथ उन्हें एकांत और मुसीबतों भरा जीवन जीने के लिए भी विवश किया जाता था। इस आंदोलन ने इन दमनकारी प्रथाओं को चुनौती दी और विधवाओं के पुनर्विवाह और संपूर्ण जीवन जीने के अधिकारों की पैरवी की। समाज सुधारकों, बुद्धिजीवियों और प्रगतिशील विचारकों के समर्थन से आंदोलन को नई गति मिली। इन सब ने मिलकर विधवा पुनर्विवाह को वैध बनाने और भेदभावपूर्ण प्रथाओं को खत्म करने हेतु विधायी बदलावों के लिए जोरदार अभियान चलाया। सन् 1856 में, ब्रिटिश सरकार ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कर दिया, जिसने हिंदू विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति दी।

स्वतंत्र भारत में, समाज सुधारकों ने विधवाओं को भेदभाव और हाशिए पर धकेलने वाली प्रथाओं, विधवा अधिकारों और कल्याण की पैरवी करने, सदियों पुराने रीति-रिवाजों और प्रथाओं को चुनौती देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम जारी रखा। उनके प्रयासों ने विधवाओं के जीवन को बेहतर बनाने तथा अधिक समावेशी एवं न्यायसंगत समाज को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

कुछ दशकों पहले, इस मुद्दे पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं ने महसूस किया कि विधवाओं के साथ-साथ, अन्य महिलाओं को भी इसी तरह की कमजोरियों का सामना करना पड़ता है। विवादग्रस्त क्षेत्रों में, और जहाँ पशु-मानव मुठभेड़ों के कारण अकाल मृत्यु आम बात है, कुछ अजीबोगरीब किस्म के नामकरण किए गए : कश्मीर में 'आधी विधवाएँ' उन महिलाओं के लिए इस्तेमाल की गई शब्दावली है जो लापता पुरुषों की पत्नियाँ हैं; और, सुंदरवन में, 'बाघ-विधवाएँ' वे महिलाएँ हैं, जिनके पतियों पर संदेह है

कि वे बाघों द्वारा लील लिए गए और जिनके शव बरामद नहीं हो पाए। पुरुषों के लापता होने को लेकर अस्पष्टता के कारण, पत्नियाँ किसी भी सामाजिक सुरक्षा योजना या सरकारी मदद तक पहुँचने में असमर्थ हैं। ऐसी महिलाएँ भी हैं जो अलग हो गई हैं, तलाकशुदा हैं, या अपने पति द्वारा छोड़ दी गई हैं। साथ ही ऐसी भी महिलाएँ हैं, जिन्होंने पसंद से बाहर या परिस्थितियों के कारण कभी शादी नहीं की, जिनमें से कई माँ या देखभाल करने वालियों के रूप में कार्य करती हैं।

महिलाओं की इन सभी श्रेणियों के साथ काम करने के अनुभव से – जो पसंद या मजबूरी के चलते अकेले रहते हुए चुनौतियों और कमजोरियों का सामना करती हैं – कार्यकर्ता महिलाओं की इस श्रेणी को किसी और नाम के अभाव में 'एकल नारी' का दर्जा देते हैं।

बाल विवाह के मुद्दे पर काम करते हुए एक्शनएड एसोसिएशन को यह एहसास हुआ कि लड़कियों और महिलाओं पर शादी के लिए लड़कों और पुरुषों की तुलना में अधिक दबाव डाला जाता है। ऐतिहासिक रूप से, विवाह महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना गया है। यह स्थिरता, सुरक्षा और सामाजिक स्वीकृति का प्रतीक है। पुरुषों और महिलाओं के लिए विवाह की आयु बढ़ाकर 21 वर्ष करने की बहस में (वर्तमान में यह पुरुषों के लिए 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष है), यह तर्क दिया जाता है कि आयु बढ़ाने से महिलाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा, जो 18 साल की उम्र में शादी के बाद चुनौती बन जाता है।

एक ओर जहाँ महिलाओं पर शादी करने का दबाव सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यक्तिगत कारकों का एक जटिल अंतर्संबंध है, वहीं दूसरी ओर इन बाधाओं को संबोधित करने हेतु पारंपरिक मानदंडों को चुनौती, लैंगिक समानता को बढ़ावा और महिलाओं को अपनी आकांक्षाओं और प्राथमिकताओं के आधार पर विकल्प चुनने के लिए सशक्त बनाना आवश्यक है। इस प्रकार, समाज के रूप में यह सुनिश्चित किया जाना एकमात्र तरीका है कि एक महिला के लिए विवाह करने का चुनाव उसका उतना ही अपना निर्णय है, जितना न करने का। अतः यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि उसके अकेले रहने के विकल्प की सामाजिक और आर्थिक व्यवहार्यता समान हों। यह तभी संभव होगा जब एकल नारियों को उनकी वैवाहिक स्थिति के कारण किसी कलंक, भेदभाव या पूर्वाग्रह का सामना नहीं करना पड़ेगा।

वर्तमान स्थिति

वर्तमान में भारत में एकल नारियों को अपने घरों, समुदायों और सरकारी नीतियों सहित जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक पूर्वाग्रहों और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार, देश में लगभग 7.3 करोड़ एकल नारियाँ हैं। साल 2016 की राष्ट्रीय महिला नीति के ड्राफ्ट जैसे दस्तावेजों में उनकी समस्याओं को मान्यता मिलती है। इसमें विधवा, अलग, तलाकशुदा, छोड़ी हुई और अविवाहित महिलाओं की स्थिति को माना जाता है। हालाँकि, सरकार एकल नारियों को विशेष आवश्यकताओं वाली एक विशेष श्रेणी के रूप में नहीं मानती।

दुर्भाग्यवश, नीतिगत चर्चाओं में 'एकल' शब्द का इस्तेमाल अक्सर विधवाओं पर केंद्रित होता है, और एकल नारियों की अन्य श्रेणियों की अनदेखी करता है। नतीजतन, मान्यता की इस कमी के कारण, विधवाओं के लिए नामित योजनाओं को छोड़कर, एकल नारियों के लिए विशेष रूप से तैयार की गई योजनाएँ और कल्याण प्रावधान केंद्रीय स्तर पर स्पष्ट रूप से नदारद हैं। देश भर में लगभग 1.3 करोड़ घरों की मुखिया एकल नारियाँ हैं, जिनके पास पर्याप्त सामाजिक सहायता प्रणालियों का अभाव है। इसके बावजूद, उनकी सहायता के लिए कोई तंत्र नहीं है। अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता होने के बावजूद, जिसमें अधिकांश महिला कार्यबल शामिल हैं, एकल नारियों में अपनी भागीदारी को बढ़ावा देने और कार्यस्थल और घर पर अपने अधिकारों की रक्षा हेतु संस्थागत तंत्र का अभाव है। इसके अलावा, अधिकांश पहचान दस्तावेजों में माता-पिता के पते या अभिभावक या पति या पत्नी के उल्लेख की आवश्यकता के चलते एकल नारियों को अपनी एकल स्थिति के कारण अपने अधिकारों तक पहुँचने में कई कानूनी और सामाजिक अड़चनों का सामना करना पड़ता है। यह उनकी पात्रता के बावजूद आवश्यक सेवाओं तक उनकी पहुँच को बाधित करता है और उन्हें व्यापक योजनाओं से बाहर कर देता है।

मुख्य रूप से, भारत में प्रचलित सामाजिक और कानूनी व्यवस्था विवाह संस्था के इर्द गिर्द संरचित है, जो एकल नारियों के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियाँ और कभी-कभी दुर्गम अड़चनें पैदा करती है। हालाँकि, राज्य स्तर पर, अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ ध्यान देने योग्य बदलाव हुए हैं। कुछ राज्य विशेष रूप से एकल नारियों को एक श्रेणी के रूप में लक्षित कर सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लागू कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, राजस्थान ने एकल नारी सम्मान पेंशन योजना शुरू की है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों द्वारा भी एकल नारी पेंशन योजनाएँ शुरू की गई हैं। तमिलनाडु ने विधवाओं, निराश्रित, परित्यक्त, कमजोर और अविवाहित महिलाओं की अनूठी चुनौतियों को पहचानते हुए उन्हें अनुरूप सेवाएँ प्रदान करने के लिए विधवा और निराश्रित महिला कल्याण बोर्ड की स्थापना की है।

इन स्थानीय प्रयासों के बावजूद, देश भर में अधिकांश एकल नारियाँ आज भी अपरिचित और अदृश्य बनी हुई हैं। उनकी आवाजें अनसुनी कर दी जाती हैं और व्यापक सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों में उनकी विशिष्ट जरूरतों की उपेक्षा की जाती है।

एकल नारी को अक्सर एक और चुनौती का सामना करना पड़ता है। यह चुनौती है उनके ऊपर डायन का ठप्पा। यह अंधविश्वास और पितृसत्तात्मक मान्यताओं में लिपटी एक कष्टदायक और पुरातन प्रथा है। जादू-टोने या झाड़-फूँक के आरोप में इन महिलाओं को सामाजिक बहिष्कार, हिंसा और यहाँ तक कि हत्या का भी सामना करना पड़ता है। उनकी एकान्त स्थिति उन्हें पारिवारिक सुरक्षा से रहित, असुरक्षित लक्ष्य बनाती है। डायन प्रथा लैंगिक असमानता को कायम रखती है और इन महिलाओं को बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित करती है। इस अन्याय से निपटने के लिए कानूनी सुधार, सामुदायिक शिक्षा और सहायता नेटवर्क सहित ठोस प्रयासों की आवश्यकता है। एकल नारियों को सशक्त बनाना और प्रतिगामी दृष्टिकोण को चुनौती देना, भेदभाव के इस गंभीर रूप को खत्म करने और उनकी सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने की दिशा में आवश्यक कदम हैं।

न्यायसंगत भविष्य के लिए एकल नारियों की कार्यसूची

अपने अधिकारों और हकदारियों का दावा करने में सक्षम बनाने की दिशा में एक्शनएड एसोसिएशन दो दशकों से भी अधिक समय से एकल नारियों के साथ काम कर रहा है। एकल नारियों की समस्याओं और मुद्दों की समझ एक्शनएड एसोसिएशन को साल 1999 के जगतसिंहपुर, उड़ीसा में सुपर साइक्लोन और साल 2001 के गुजरात भूकंप के दौरान किए गए मानवीय कार्यों से हुई। गुजरात में एक्शनएड एसोसिएशन के हस्तक्षेप से पहली बार अधिकारों की रक्षा के लिए एक फोकस से भरा प्रयास देखा गया। एकल नारियों को ऐसी आपदाओं के समय सबसे कमजोर समूहों में से एक माना जाता है। यह प्रयास आपदा प्रतिक्रिया टीम, 'स्नेह समुदाय' के प्रयासों से संभव हुआ। 'स्नेह समुदाय' के एकल नारियों के साथ निरंतर काम की वजह से 'एकल नारी शक्ति मंच' का निर्माण हुआ। इसने एकल नारियों के अधिकारों के लिए राष्ट्रीय मंच के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो इस संबंध में नीति निर्माण को प्रभावित करने हेतु कार्यरत है। एकल नारियों की व्यापक कमजोरियों को पहचानते हुए, एक्शनएड एसोसिएशन तब से सक्रिय रूप से विभिन्न संदर्भों में उन्हें उनके अधिकारों और गरिमापूर्ण जीवन को सक्षम बनाने की दिशा में काम कर रहा है। वर्षों से, एक्शनएड एसोसिएशन महाराष्ट्र में आत्महत्या करने वाले किसानों की पत्नियों, कश्मीर में गायब हुए पुरुषों की पत्नियों, उड़ीसा में भूमिहीन एकल नारियों, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में एकल मछुआरा समुदाय की महिलाओं, मध्य प्रदेश और कई अन्य राज्यों में 'चुड़ैल' के रूप में ब्रांड की गई महिलाओं के साथ एकजुटता में काम कर रहा है।

न्यायसंगत भविष्य के लिए एकल नारियों की कार्यसूची, समुदायों के बीच ताजा बातचीत की एक श्रृंखला से उभरा है। इसमें समुदाय नेताओं की सक्रिय भागीदारी रही है। समुदाय के साथ एक्शनएड एसोसिएशन की लंबी भागीदारी और उनके सामने आने वाले मुद्दों को भी इस कार्यसूची में शामिल किया गया है।

1. एकल नारियों की पहचान

उचित मान्यता के बिना, एकल नारियों को मौजूदा कानूनी ढाँचे और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों द्वारा नजरअंदाज किए जाने और अपर्याप्त सेवा दिए जाने का खतरा बना रहता है। स्वीकार्यता और संस्थागत ढाँचे का अभाव न केवल उन्हें आवश्यक अधिकारों और सुरक्षा से वंचित रखता है, बल्कि शोषण और भेदभाव के प्रति उनकी संवेदनशीलता को भी बनाए रखता है। महिलाओं के कल्याण और विकास के लिए मौजूदा सामान्य नजरिया, एकल नारियों द्वारा झेली जाने वाली विशिष्ट परिस्थितियों के प्रति दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है। इसलिए, एक मजबूत संस्थागत ढाँचा स्थापित किए जाने की तत्काल आवश्यकता है, जो एकल नारियों के उत्थान और सशक्तीकरण, उनके समावेश, कल्याण और सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु जरूरी फोकस और संसाधन मुहैय्या करवा सके।

1.1 एकल नारियों के सशक्तिकरण, सामाजिक सुरक्षा, सम्मानजनक जीवन और कानूनी अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय एकल नारी नीति बनाई जाए।

1.2 गरीबी में रहने वाली एकल नारियों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), DNT (विमुक्त जनजातियाँ जिन्हें पहले ब्रिटिश सरकार द्वारा आपराधिक जनजातियों के रूप में वर्गीकृत किया गया था), मुस्लिम और यौन अल्पसंख्यक जैसे हाशिए पर रहने वाले समुदायों से संबंधित महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। इन समूहों को अपनी विशिष्ट अंतर्संबंधीय पहचानों के कारण, जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अतः उनकी विशिष्ट चुनौतियों के समाधान हेतु, अतिरिक्त ध्यान और लक्षित मदद की आवश्यकता है।

1.3 बच्चों वाली एकल नारियों की ओर विशेष ध्यान दिया जाए। उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को स्वीकार और उनका समाधान किए जाने की आवश्यकता है।

1.4 मौजूदा नीतियों और कार्यक्रमों में संशोधन किया जाए, ताकि सभी एकल नारियाँ पेंशन, बाल सहायता, आवास, कौशल प्रशिक्षण, आदि योजनाओं का लाभ उठा सकें।

1.5 एकल नारियों की सामाजिक स्थिति, संपत्ति, आजीविका, आय और आवश्यक सुविधाओं तक उनकी पहुँच के संबंध में सर्वेक्षण और सामाजिक–आर्थिक मानचित्रण अध्ययन आयोजित किए जाएँ। आँकड़ों का उपयोग एकल नारियों के विभिन्न मुद्दों और उनके सशक्तिकरण के लिए कार्य योजना तैयार करते समय किया जा सकता है।

1.6 संस्थागत तंत्र :

1.6.1 एकल नारियों के लिए धन आवंटन : एकल नारियों के सशक्तिकरण और विकास के लिए समर्पित धन निर्धारित किया जाए।

1.6.2 देश भर में एकल नारियों के समक्ष आने वाली समस्याओं के समाधान, उनके विकास और सशक्तिकरण के लिए विशेष कदम उठाने हेतु राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोगों के भीतर एक एकल नारी सेल की स्थापना की जाए।

1.6.3 ब्लॉक समितियों से चयनित सदस्यों से बनी एक जिला स्तरीय समिति की स्थापना की जाए।

1.6.4 संचार एवं समन्वय की सुविधा हेतु मासिक जिला स्तरीय बैठकें आयोजित की जाएँ। ग्राम और ब्लॉक स्तरीय समितियों को उनके कौशल और क्षमताओं को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।

1.6.5 प्रयासों में तालमेल बिठाने और प्रभाव को अधिकतम करने के लिए जिला–स्तरीय गैर सरकारी संगठनों के साथ सहयोग किया जाए।

2 एकल नारियों की परिभाषा एवं पहचान

एकल नारी शब्द को किसी महिला की वैवाहिक स्थिति और उसके पास पति है या नहीं, के संदर्भ में समझा जाता है। एकल नारी की परिभाषा को सभी प्रशासनिक, सामाजिक, कानूनी और शासन स्तरों पर स्पष्ट किया जाए, ताकि उन सभी श्रेणियों की महिलाओं के बारे में स्थापित भ्रम को दूर किया जा सके जिनके लिए एकल नारी शब्द का उपयोग किया जाता है। एकल नारियों के लिए काम करने वाले संगठनों द्वारा आम तौर पर यह स्वीकार किया गया है कि इन श्रेणियों को सार्वभौमिक रूप से सूचीबद्ध किया जाना चाहिए।

2.1 'एकल नारी' की एक समावेशी परिभाषा अपनाई जाए, जिसमें शामिल हैं :

a) विधवा

b) कानूनी तौर पर तलाकशुदा महिलाएँ

c) अलग हुई महिलाएँ

d) परित्यक्त महिलाएँ

e) कभी शादी न करने वाली महिलाएँ

f) वे महिलाएँ जिनके पति लापता हैं (अर्ध-विधवा, बाघ-विधवा, आदि)।

2.2 पहचान प्रक्रिया

2.2.1 एकल नारियों को स्थानीय स्व-शासन निकायों में पंजीकृत किया जाए और एक अलग रजिस्टर बनाया जाए।

2.2.2. उन्हें 'एकल नारी' के रूप में प्रमाणित करते हुए एक पहचान दस्तावेज जारी किया जाए।

2.2.3. छोड़ दी गई/परित्यक्त महिलाओं का प्रमाणीकरण :

2.2.3.1. परित्याग आम तौर पर दो साल की अवधि के बाद तलाक का आधार बनता है। परंतु, छोड़ दी गईं और परित्यक्त महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभ तक पहुँचने हेतु पात्रता मानदंड राज्य-वार काफी भिन्न होते हैं। एकल महिला के रूप में पहचान हेतु एक समान और उपयुक्त अवधि का निर्धारण किया जाए।

2.2.3.2. ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्राम पंचायत द्वारा स्व-घोषणा की प्रक्रिया के बाद एक महिला को 'एकल' के रूप में प्रमाणित किया जाए। इस प्रक्रिया को स्थानीय सरकारी कर्मचारियों जैसे शिक्षक, नर्स, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता,

डाकिया, आदि या वार्ड में काम करने वाले NGO कर्मचारियों की देखरेख में किया जाए।

2.2.3.3. शहरी क्षेत्रों में, वार्ड पार्षद या नगरपालिका वार्ड सदस्यों द्वारा स्व-घोषणा की प्रक्रिया के बाद किसी महिला को 'एकल' के रूप में प्रमाणित किया जाए। यह प्रक्रिया वार्ड में काम करने वाले स्थानीय सरकारी कर्मचारियों या NGO कर्मचारियों की उपस्थिति में की जाए।

2.2.4. 'अर्ध-विधवाओं' का प्रमाणन

2.2.4.1. जिन महिलाओं के पति एक निश्चित अवधि से लापता हैं, उन्हें अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। उनकी स्थिति के बारे में स्पष्ट दिशानिर्देशों का अभाव होता है। वर्तमान में, सात साल की अनुपस्थिति के बाद किसी व्यक्ति को मृत मान लिया जाता है। इसे संबोधित करने के लिए, एक वर्ष की अनुपस्थिति के बाद अस्थायी प्रमाणीकरण की पेशकश करने का प्रस्ताव पारित किया जाए, जिसमें उन्हें सात साल की सीमा तक पहुँचने या जीवनसाथी मिलने तक एकल नारी के रूप में नामित किया जाए। यह अंतरिम उपाय अनिश्चितता की अवधि के दौरान स्पष्टता और आवश्यक मदद तक पहुँच प्रदान करने में मददगार होगा।

2.2.4.2. जिन महिलाओं के पति लापता हैं, गुमशुदा व्यक्ति की FIR दर्ज होने की तारीख से एक वर्ष के बाद, महिला को संबंधित सरकारी अधिकारी से 'एकल नारी' के रूप में अपनी स्थिति की पुष्टि करते हुए एक प्रमाण पत्र प्राप्त करने का हकदार बनाया जाए।

2.2.4.3. यदि लापता पति वापस आता है, तो लाभार्थी को संबंधित अधिकारी को स्व-घोषणा के साथ सूचित किया जाए, जिसे पंचायत जैसे स्थानीय निकायों द्वारा सत्यापित किया जा सकता है (यह प्रक्रिया विधवाओं के मामले में पुनर्विवाह के अनुरूप हो सकती है)।

2.2.4.4. ग्रामीण क्षेत्रों में, यदि कोई FIR दर्ज नहीं की गई है, तो सरपंच और 2 अन्य ग्राम निवासी या सरकारी कर्मचारी (शिक्षक, नर्स, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, दाइयाँ, डाकिया) जो स्थिति जानते हैं, लिखित में दे सकते हैं कि महिला का उसके पति/साथी से एक वर्ष या उससे अधिक समय से संपर्क नहीं हुआ है। संबंधित सरकारी अधिकारी द्वारा यह दस्तावेज प्राप्त होने के बाद 'एकल नारी' का प्रमाणपत्र जारी किया जाए।

3. चालू कार्यक्रमों और योजनाओं में एकल नारियों को प्राथमिकता

एकल नारियों को अक्सर कानूनी और प्रशासनिक अड़चनों के कारण उपलब्ध लाभों तक पहुँचने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। एकल नारियों की कुछ श्रेणियों को भी लाभ प्राप्त करने से वंचित

रखा जा सकता है। इस तरह का मामला तमिलनाडु में देखा गया था, जहाँ परित्यक्त महिलाओं को विधवाओं, तलाकशुदा और अविवाहित बेटियों के लिए उपलब्ध पारिवारिक पेंशन तक पहुँच से बाहर रखा गया। एकल नारियों को पहचान प्रमाण, आवासीय प्रमाण, पैन कार्ड और राशन कार्ड जैसे आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने में भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस कारण वे सामाजिक सुरक्षा उपायों तक अपनी पहुँच बनाने में असमर्थ रहती हैं। मिसाल के तौर पर, बिना राशन कार्ड वाली एकल नारियाँ या विधवाएँ पेंशन लाभ से वंचित रहती हैं।

3.1. पंजीकरण : सामाजिक कल्याण लाभों तक पहुँच को सुविधाजनक बनाने हेतु सभी एकल नारियों का अपने स्थानीय स्व-शासन निकायों के साथ पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए।

3.2. कलंकित और भेदभाव वाली प्रतिगामी सामाजिक ताकतों का मुकाबला करने हेतु, सभी कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों में एकल नारियों को प्राथमिकता दी जाए।

इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक सुरक्षा, आवास, भूमि वितरण, कर लाभ, किसान कल्याण जैसे तकनीकी या ऋण मदद, कौशल निर्माण और प्रशिक्षण, रोजगार, उद्यमिता और हिंसा से प्रभावित महिलाओं की सुरक्षा एवं पुनर्वास सेवाओं से संबंधित योजनाएँ शामिल हैं।

3.3. एकल नारियों को राशन कार्ड जैसे अधिकार हासिल करने के उद्देश्य से एकल परिवार के रूप में खुद को गठित करने की अनुमति दी जाए। वर्तमान में, अपने पति या माता-पिता से अलग हुई महिलाएँ अक्सर अलग कार्ड प्राप्त करने में असमर्थता के कारण लाभ तक पहुँच खो देती हैं। तमिलनाडु में, अकेले रहने वाली महिलाओं को परिवार के रूप में मान्यता दी गई है। तलाकशुदा और अविवाहित महिलाओं को अलग राशन कार्ड जारी किए जा सकते हैं।

3.4 एकल नारियों को सार्वभौमिक आबादी और/या हाशिए पर रहने वाले समूहों के लिए शिक्षा सुविधाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS), प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY), आदि सहित सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुँच सुनिश्चित की जाए।

3.5. एकल नारियों के लिए उप-वर्गीकरण प्रदान किया जाए, जहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई हो, जिसमें राज्य और केंद्र में सरकारी सेवाओं में एकल नारियों के लिए आरक्षण शामिल है। यह राजस्थान में दिए गए आरक्षण की तर्ज पर किया जा सकता है, जहाँ 30 प्रतिशत पद महिलाओं, जिनमें से एक-तिहाई विधवाओं और तलाकशुदा लोगों के लिए आरक्षित हैं।

3.6. एकल नारियों से संबंधित सभी सरकारी योजनाओं, सामाजिक सुरक्षा लाभों और अन्य नीतिगत हस्तक्षेपों को सुव्यवस्थित करने के लिए एकल खिड़की प्रणाली विकसित की जाए।

4. महिलाओं का संपत्ति का अधिकार

एकल नारियों को अक्सर संपत्ति के स्वामित्व और उत्तराधिकार अधिकारों के लिए विभिन्न सामाजिक-सांस्कृतिक, कानूनी और आर्थिक अड़चनों का सामना करना पड़ता है, जिससे उन्हें मूल्यवान संपत्ति और आर्थिक सुरक्षा तक पहुँच से वंचित कर दिया जाता है। इससे उनकी आर्थिक निर्भरता बनी रहती है और असुरक्षा बढ़ती है। भारत में प्रचलित भेदभावपूर्ण व्यक्तिगत और प्रथागत कानून, महिलाओं की संपत्ति अधिकारों तक पहुँच में रोड़ा बने हुए हैं। महिलाओं को संपत्ति पर अपना दावा छोड़ने के लिए सामाजिक दबाव का भी सामना करना पड़ता है। उन्हें परिवार के विस्तारित सदस्यों से समर्थन भी नहीं मिलता। सीमित वित्तीय संसाधनों और कानूनी मदद तक पहुँच की कमी सहित आर्थिक बाधाएँ अतिरिक्त मुसीबतें पैदा करती हैं। इससे एकल नारियों के लिए कानूनी प्रणाली में नेविगेट करना और अपने अधिकारों पर दावा ठोंकना कठिन हो जाता है।

4.1 उत्तराधिकार कानूनों में सुधार :

4.1.1. व्यक्तिगत और प्रथागत कानूनों के तहत उत्तराधिकार कानूनों में मौजूदा असमानताओं में संशोधन करके सुनिश्चित किया जाए कि बेटियों को अपने माता-पिता की संपत्ति में उत्तराधिकार का समान अधिकार प्राप्त हो। उदाहरण के लिए, मेव समुदाय पर लागू पंजाब और हरियाणा के प्रथागत कानूनों के कारण, पैतृक और गैर-पैतृक संपत्ति में बेटियों को उत्तराधिकार के अधिकार से वंचित रखा गया है।

4.1.2. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार बेटियों का पैतृक संपत्ति पर कानूनी अधिकार — चाहे वह तलाकशुदा हो, अलग या विधवा हो, स्पष्ट किया जाए। यदि कोई अकेली महिला ऐसी भूमि पर रह रही है, जिसके स्वामित्व के कागजात उसके पास नहीं हैं, तो कानून यह होना चाहिए कि जब तक कुछ मुआवजाधुनर्वास न हो जाए, तब तक उसे विस्थापित नहीं किया जा सकता।

4.2. संपत्ति में स्वामित्व :

4.2.1. पत्नियों को अपने पति की स्व-अर्जित संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार दिया जाए, भले ही वह शादी से पहले या शादी के दौरान अर्जित की गई हो। भूमि और/या संपत्ति की बिक्री या हस्तांतरण के मामले में, पुरुष मालिक पर निर्भर महिलाओं की सहमति को कानूनी आवश्यकता बनाया जाए।

4.2.2. अलगाव, परित्याग या तलाक के समय, महिलाओं को भरण-पोषण के अलावा, यदि कोई हो, उस अवधि के दौरान दंपत्ति द्वारा अर्जित संपत्ति का कम से कम आधा हिस्सा पाने का हकदार बनाया जाए। पति-पत्नी में से किसी एक की शादी के बाद अर्जित की गई सभी संपत्ति को दंपत्ति के बीच एक इकाई के रूप में माना जाए, भले ही महिला आर्थिक या वित्तीय रूप से पारिवारिक आय में योगदान देती हो या नहीं। घरेलू

काम, गृह प्रबंधन, बच्चे की देखभाल, इत्यादि में उसका योगदान, उसे आधे हिस्से का अधिकारी बनाता है।

4.3. एकल नारी के नाम पर खरीदी गई जमीन और मकान के पंजीकरणय और, एकल नारी के पक्ष में निष्पादित अचल संपत्ति के उपहार विलेख पर स्टांप शुल्क कम किया जाए। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, बिहार आदि सहित कुछ राज्यों में पहले से ही महिलाओं के लिए अलग-अलग रियायतें हैं।

4.4. एकल नारियों की वित्तीय साक्षरता और कानूनी ज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम प्रदान किए जाएँ, जिससे वे अपने संपत्ति अधिकारों के बारे में सूचित निर्णय लेने और कानूनी प्रणाली को प्रभावी ढंग से संचालित कर सकें।

5. आर्थिक सशक्तिकरण

एकल नारियों को रोजगार के अवसर तलाशते समय सामाजिक भेदभाव, स्थापित परंपराओं, सीमित संसाधनों और कम अवसरों जैसे विभिन्न कारकों के कारण महत्वपूर्ण अड़चनों का सामना करना पड़ता है। उनकी आर्थिक निर्भरता और भेद्यता तब और बढ़ जाती है जब पारंपरिक लैंगिक भूमिकाएँ और पारिवारिक अपेक्षाएँ एकल नारियों को पुरुष रिश्तेदारों पर वित्तीय स्थिरता हेतु भरोसा करने पर मजबूर करती हैं। औपचारिक रोजगार और वित्तीय सेवाओं तक पहुँच के अभाव में, कई एकल नारियों को अनौपचारिक और अनिश्चित कार्य व्यवस्था में संलग्न होने के लिए मजबूर किया जाता है। इससे वे आर्थिक रूप से कमजोर और शोषण के प्रति और अधिक संवेदनशील हो जाती हैं।

5.1. एकल नारियों को नौकरियों और पदोन्नति में प्राथमिकता दी जाए।

5.2. गाँव, मंडल और जिला स्तर पर नौकरी के अवसरों में एकल नारियों को शामिल करने को बढ़ावा दिया जाए।

5.3. बजट में विशेष रूप से एकल नारियों की आजीविका का समर्थन करने वाली पहल के लिए धन आवंटित किया जाए। इन योजनाओं में व्यावसायिक प्रशिक्षण, उद्यमिता कार्यक्रम और एकल नारियों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में मदद हेतु वित्तीय सहायता शामिल हो सकती है।

5.4. शिक्षा एवं कौशल निर्माण :

5.4.1. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, राष्ट्रीय पशुधन मिशन और आजीविका जैसी योजनाओं में यह प्रावधान है कि कुल लाभार्थियों में से कम से कम एक-तिहाई महिलाएँ हों। एकल नारियों में कम से कम एक-तिहाई महिला लाभार्थी शामिल किए जाएँ।

5.4.2. एकल नारियाँ जो खुले विद्यालयों, विश्वविद्यालयों या ब्रिज पाठ्यक्रमों के माध्यम से अपनी शिक्षा जारी रखना चाहती हैं, उन्हें कुल शुल्क का 50 प्रतिशत (यदि वे BPL परिवारों से हैं तो 80 प्रतिशत तक) तक छात्रवृत्ति दी जाए।

5.5. वित्तीय सेवाओं तक पहुँच :

5.5.1. वित्तीय सशक्तिकरण को बढ़ावा देने, संचित बचत के माध्यम से स्व-रोजगार अवसरों को सक्षम बनाने हेतु बचत समितियों की स्थापना की जाए।

5.5.2. मुद्रा जैसी योजनाओं के तहत एकल नारी उद्यमिता को प्राथमिकता दी जाए। मुद्रा के माध्यम से एकल नारियों को ऋण प्रदान करने वाले बैंकों और सूक्ष्म-वित्त संस्थानों को कम ब्याज दरों की पेशकश की जाए।

5.5.3. स्टैंड-अप इंडिया योजना का लक्ष्य ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने हेतु प्रति बैंक शाखा एक SC, एक ST और एक महिला को 10 लाख से 1 करोड़ रुपए के बीच ऋण की सुविधा प्रदान करना है। इसमें एकल नारियों को प्राथमिकता दी जाए।

5.5.4. एकल नारियों या मुख्य रूप से एकल नारी सदस्यों वाली सहकारी समितियों को सहकारी बैंकों से रियायती ऋण की प्राथमिकता दी जाए।

6. एकल नारियों के खिलाफ हिंसा का संबोधन

पितृसत्तात्मक समाज में पुरुष साथी की अनुपस्थिति या परिवारों द्वारा त्याग दिए जाने के कारण एकल नारियों को यौन और लिंग-आधारित हिंसा का खतरा अधिक होता है। एकल महिलाओं को अपनी वैवाहिक स्थिति के कारण पैतृक या वैवाहिक परिवार के घर में रहते हुए भी हिंसा का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा, डायन घोषित किए जाने जैसी प्रथाओं के चलते भी उन्हें असंगत रूप से लक्षित किया जाता है।

6.1. डायन-ब्रांडिंग प्रथा, समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों से संबंधित एकल नारियों को असंगत रूप से लक्षित करती है। अतः इसको खत्म करने और जीवित बचे लोगों के पुनर्वास और समर्थन हेतु एक व्यापक राष्ट्रीय कानून बनाया जाए। चूँकि मौजूदा कानून स्पष्ट रूप से अपर्याप्त हैं इसलिए रोकथाम, प्रतिशोध, सुरक्षा और पुनर्वास के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, एक समान कानून बनाए जाने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, डायन प्रथा निवारण अधिनियम, 1999 केवल पैसों का जुर्माना लगाता है, जैसे दोषी पाए गए व्यक्ति पर 1000 रुपए (जो किसी महिला को डायन करार देता है) का जुर्माना। इसमें डायन करार दी गई महिलाओं के पुनर्वास का कोई जिक्र नहीं है। इसी तरह, झारखंड के डायन निवारण (DAAIN) प्रथा अधिनियम, 2001 की कार्यकर्ताओं द्वारा आलोचना की गई है। उनके अनुसार यह न तो पीड़ितों के लिए प्रभावी रोकथाम, सुधार और पुनर्वास प्रदान करने में सक्षम है और न ही अपराधियों को पर्याप्त सजा दिलवाने में।

6.2. विधवा उत्पीड़न और एकल नारियों के शोषण को प्रोत्साहित करने वाली प्रथाओं, जैसे देवदासी प्रथा, को कानून द्वारा उचित कार्यान्वयन के साथ सख्ती से गैरकानूनी घोषित किया जाए। उदाहरण के लिए, कर्नाटक देवदासी (समर्पण का निषेध) अधिनियम 1982 पारित होने के 36 साल से अधिक के बाद, राज्य सरकार ने अभी तक कानून के प्रशासन के लिए नियम जारी नहीं किए हैं। इस मुद्दे को तुरंत उठाया जाए।

6.3. एकल महिला कर्मचारियों के लिए यौन उत्पीड़न से सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु जिला स्तर पर स्थानीय शिकायत समिति के कामकाज की समीक्षा और इसमें सुधार किया जाए।

6.4. एकल नारियों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं, भूमि और आवास संबंधी विवादों और उनके अधिकारों से संबंधित अन्य प्रासंगिक मुद्दों पर त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तरीय फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित की जाएँ।

6.5. एकल नारियों के मुद्दों को ब्लॉक स्तर पर उपचारात्मक प्रक्रियाओं के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु पुलिस अधिकारियों के साथ प्रशिक्षण आयोजित किए जाएँ।

7. कलंक और भेदभाव का संबोधन

एकल नारियों को अपने अधिकारों पर दावा ठोकने और सशक्तिकरण पहल का लाभ उठाने में सक्षम बनाने हेतु, समाज द्वारा कल्याण एवं सुरक्षा की गुहार लगाने वाली असहाय, कमजोर महिलाओं के रूप में उनकी धारणा को बदलना होगा। एकल नारियाँ सशक्त महिलाएँ हैं। वे समाज द्वारा ठुकराए जाने के बावजूद जीवन के लिए संघर्ष करते हुए अपना और अपने बच्चों का भरण-पोषण करती हैं। लिहाजा, समाज का दायित्व है कि वह उनकी पूर्ण भागीदारी और समावेशिता सुनिश्चित करने हेतु अपनी तरफ से भरसक प्रयास करे।

7.1. राज्य और केंद्र स्तर पर स्कूली पाठ्यक्रम की समीक्षा की जाए ताकि प्रतिगामी लैंगिक धारणाओं में सुधार लाने के उद्देश्य से लैंगिक जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।

7.2. एकल नारियों की स्थिति से जुड़े मिथकों और सांस्कृतिक वर्जनाओं का मुकाबला करने के लिए विशेष जागरूकता और संवेदीकरण कार्यक्रम शुरू किए जाएँ। एकल नारियों के सशक्तिकरण को सुविधाजनक बनाने और उनके प्रति 'दयनीय' और 'असहाय' रूढ़िवादिता को दूर करने हेतु उपाय किए जाएँ। इन उपायों को परिवार के सदस्यों, समुदाय के सदस्यों, सरकारी प्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ-साथ पंचायतों सहित सभी प्रमुख हितधारकों पर लक्षित किया जाए। इन मुद्दों पर जागरूकता और संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए स्थानीय थिएटर, रेडियो और अन्य मीडिया का उपयोग किया जाए।

7.3. सभी सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों में लैंगिक मुद्दों पर सिविल सेवकों और अन्य सरकारी अधिकारियों को संवेदनशील बनाने और प्रेरित करने हेतु पाठ्यक्रम शामिल किए जाएँ। इससे उन्हें लिंग-आधारित हिंसा और सामाजिक-सांस्कृतिक मानदंडों, असमान आर्थिक विकास, जलवायु परिवर्तन आदि द्वारा उत्पन्न अन्य लैंगिक चुनौतियों का माकूल जवाब देने में सक्षम बनाया जा सकेगा।

7.4. लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वालों के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाए। (लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं को अक्सर सामाजिक अस्वीकृति का सामना करना पड़ता है। हिंसा, समझौता, अलगाव की स्थिति में गुजारा भत्ता और ऐसे संघों से बच्चों की हिरासत के संबंध में उनके अधिकार कानून द्वारा पर्याप्त रूप से संरक्षित नहीं हैं।)

7.5. एकल नारियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएँ, जिसमें एकल महिलाओं के लिए कानूनी मुद्दों, उनके अधिकारों, हकदारियों, सरकारी योजनाओं और उनके भीतर विभिन्न प्रावधानों की जानकारी शामिल हो।

8. हाशिए पर रहने वाले वर्गों की एकल नारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा

गरीबी में रहने वाली एकल नारियों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), मुस्लिम और यौन अल्पसंख्यकों जैसे समाज के हाशिए पर रहने वाले समुदायों से संबंधित महिलाओं को अपनी वैवाहिक स्थिति के कारण भेदभाव और हिंसा का खतरा झेलना पड़ता है। इसके अतिरिक्त, जोखिम भरे काम में लगी महिलाओं पर भी शोषण का खतरा बढ़ जाता है। अविवाहित, तलाकशुदा, विधवा या अलग हुई महिलाओं सहित हाशिए पर रहने वाले समुदायों की एकल नारियों को अनूठी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो उनकी वित्तीय स्थिरता और सामाजिक कल्याण में किस्म-किस्म की अड़चनें डालती हैं।

8.1. गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली सभी एकल नारियों को पेंशन दी जाए, जो मुद्रास्फीति दर के आधार पर वार्षिक वृद्धि के साथ राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन का कम से कम आधी हो। हालाँकि, कुछ राज्य एकल नारियों के लिए पेंशन योजनाएँ पेश करते हैं, लेकिन प्रदान की जाने वाली राशि बहुत भिन्न होती है। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र में एकल नारियों को पेंशन के रूप में मात्र 600 रुपए दिए जाते हैं, जो उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है।

8.2. निराश्रित एकल नारियों को समाज में उनके सामने आने वाली व्यापक चुनौतियों और कमजोरियों का समाधान करने हेतु पेंशन सहायता के अलावा पुनर्वास सेवाएँ भी प्रदान की जाएँ।

8.3. सबसे कमजोर महिलाओं को दायरे में लेने हेतु, पेंशन योजनाओं तक पहुँच की पात्रता, मानदंड

और दस्तावेजीकरण आवश्यकताओं में सुधार किया जाए। उदाहरण के लिए, विधवा महिलाओं के लिए दिल्ली CM योजना। दिल्ली में इस पेंशन को पाने का हकदार होने के लिए 5 साल के निवास प्रमाण की आवश्यकता होती है, जो किराए या झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों के लिए अड़चनें पैदा करती है। इसका कारण है मकान मालिक उन्हें किराए के पते का उपयोग करने की अनुमति नहीं देते।

8.4. गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की एकल नारियों के बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक स्कूल में मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाए और उच्च शिक्षा के लिए उन्हें छात्रवृत्ति उपलब्ध करायी जाए।

9. स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुँच

स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँचने बनाने के लिए एकल नारियों को अक्सर महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ता है। एक प्रमुख मुद्दा एकल नारियों तक पर्याप्त रूप से पहुँचने में सरकार द्वारा स्थापित राहत पैकेज और स्वास्थ्य देखभाल योजनाओं की विफलता है। लक्षित समर्थन के अभाव के कारण कई महिलाएँ, स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच से वंचित रह जाती हैं।

9.1. एकल नारियों और उनके बच्चों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रावधान किये जाएँ। एकल नारियों को कैंसर और HIV/AIDS जैसी गंभीर बीमारी में चिकित्सा उपचार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाए।

9.2. जरूरतमंद एकल नारियों के लिए परामर्श और रेफरल सेवाएँ प्रदान करने हेतु एक हेल्पलाइन स्थापित की जाए।

9.3. एकल नारियों और उनके 21 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए विशेष जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा योजनाएँ शुरू की जाएँ। खतरनाक व्यवसायों में लगी एकल माताओं के लिए विशिष्ट योजनाएँ शुरू की जाएँ।

10. वास भूमि और आश्रय का प्रावधान

10.1. ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 15 सेंट वासभूमि भूमि समाज के हाशिए पर रहने वाले समुदायों की एकल नारियों को आवंटित की जाए। यह सुनिश्चित करने हेतु उठाए जाएँ कि उनका भूमि पर कब्जा हो सकेय और, ऐसी भूमि निर्विवाद और अनधिकृत अतिक्रमण से मुक्त हो।

10.2. पंचायत पदाधिकारियों, विशेषकर महिला प्रतिनिधियों द्वारा एकल नारियों को भूमि वितरण की गणना और कार्यान्वयन में सक्रिय भूमिका दी जाए। महिला स्वयं सहायता समूहों को भूमि और

आवास संबंधी सभी पहचान और वितरण में शामिल किया जाए।

10.3. भूमि आवंटन एक अभिसारी तरीके से किया जाए, जिसमें गृह निर्माण सहायता (वास भूमि के लिए), बिजली और पानी और स्वच्छता सुविधाएँ शामिल हैं।

10.4. सभ्य और किफायती आवास

10.4.1. विधवाओं और परित्यक्त महिलाओं के संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा, वित्तीय सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए विशेष सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ शुरू की जाएँ।

10.4.2. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बेघर एकल नारियों को प्राथमिकता दी जाए।

10.4.3. एकल नारियों को क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजनाओं हेतु अधिमान्य लाभार्थी बनाया जाए, जिसमें मध्यम-आय समूह और निम्न-आय समूह खंडों की एकल नारियों की सभी श्रेणियाँ शामिल हैं। उन्हें आवास के लिए ब्याज सब्सिडी और लंबी अवधि वाला ऋण भी प्रदान की जाए।

10.4.4. आवास ऋण को 'बाद में भुगतान' नीति के साथ दिया जा सकता है, ताकि एकल नारियाँ बिना किसी देरी के अपना घर पा सकें और बाद में चुकाने के लिए पैसे बचा सकें।

10.4.5. एकल नारियों को अक्सर किराये के आवास की तलाश करते समय कलंक का सामना करना पड़ता है। निवासी कल्याण संघों (RWAs) और हाउसिंग सोसाइटियों द्वारा भेदभावपूर्ण प्रथाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

10.4.6. एकल नारियों को उनके निधन तक रहने के लिए एक घर या फ्लैट प्रदान करने वाला रोटेशनल आवास प्रावधान, जिसके तहत मृत्यु के बाद वह घर या फ्लैट किसी अन्य को हस्तांतरित कर दिया जाता, लागू किया जाए। इसमें किसी एक व्यक्ति को उस घर का कब्जा नहीं मिलता। इस रोटेशनल आवास प्रावधान से एकल नारियों के लिए सम्मान के साथ रहने का सुरक्षित आश्रय सुनिश्चित किया जा सकता है।

10.4.7. एकल नारियों को आश्रय तक पर्याप्त और प्राथमिकता पहुँच प्रदान की जाए, जिसमें बेघरों के लिए आश्रय, कामकाजी महिला हॉस्टल तथा नशे की लत, मानसिक बीमारी, तस्करी या 'निराशा' से पीड़ित महिलाओं के लिए पुनर्वास गृह शामिल हैं।

10.4.8. जिला स्तर पर पर्याप्त संख्या में कामकाजी एकल नारियों के लिए सक्षम और अनुकूल वातावरण बनाने एवं आर्थिक स्वतंत्रता देने हेतु महिला हॉस्टल स्थापित किए जाएँ। प्रत्येक जिले में 100 एकल नारियों की क्षमता वाला कम से कम एक हॉस्टल बनाया जाए।

11. कमजोर परिस्थितियों में एकल नारियाँ

11.1 प्रवासी मजदूर

वैसे तो अधिकांश महिलाएँ शादी के कारण पलायन करती हैं। परंतु, एकल नारियाँ आजीविका और मदद के अभाव में भी शहरों का रुख करती हैं। एकल नारियों का एक बड़ा हिस्सा घरेलू काम, अनौपचारिक विनिर्माण और दैनिक-मजदूरी जैसे क्षेत्रों में काम की तलाश में पलायन करता है। लिहाजा, शोषण और हिंसा के प्रति संवेदनशीलता से उनका दो-चार होना लाजिमी हो जाता है। उन्हें अपने सामाजिक-आर्थिक अधिकारों तक पहुँच बनाने में भी जद्दोजहद करनी पड़ती है।

a) स्रोत और गंतव्य स्थानों पर एकल नारियों के लिए प्रवास सुनिश्चित करने हेतु, प्रवासन सुविधा को केंद्रों या पुलिस स्टेशनों में विशेष सेल के जरिए प्रवासी सहायता सेवाएँ प्रदान करवाई जाएँ।

b) प्रवास के दौरान सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुँच बनाए रखी जाए।

c) प्रवासी मजदूरों के स्कूल जाने वाले बच्चों को श्रम बल में प्रवेश से रोकने के लिए विशेष प्रयास किए जाएँ। स्रोत और गंतव्य राज्यों में सरकारी और निजी दोनों संस्थानों में शैक्षिक सुविधाएँ उपलब्ध और सुलभ हों। मोबाइल स्कूलों की स्थापना पर विचार किया जाए। काम के दौरान एकल नारियों के बच्चों के लिए क्रेच और डे-केयर सुविधाएँ सुनिश्चित की जाएँ।

11.2. खेतिहर मजदूर

कृषि क्षेत्र में एकल नारियों को व्यवस्थागत अड़चनों और लैंगिक भेदभाव के कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कृषि योग्य जमीन न होने के कारण उन्हें किसानों के बजाय 'खेतिहर मजदूर' की संज्ञा दी जाती है' और कृषि उत्पादन में अपने महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद उन्हें सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर किसानों के रूप में मान्यता नहीं मिलती। यह अंतर उन्हें किसानों के लिए बनी महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं, संस्थागत ऋण और सब्सिडी तक पहुँच से वंचित कर देता है और वे आर्थिक रूप से पीछे रह जाते हैं। इसके अतिरिक्त, उत्तराधिकार कानून अक्सर महिलाओं के खिलाफ भेदभाव करते हैं, खासकर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और पंजाब जैसे राज्यों में, जहाँ बेटियों और बहनों को कृषि भूमि विरासत के अधिकार से वंचित रखा जाता है। विडंबना यह कि किसान आत्महत्याओं के मामलों में, विधवाओं पर बकाए ऋण के कारण वित्तीय बोझ और बढ़ जाता है।

a) कृषि में संलग्न एकल नारियों को किसानों के रूप में मान्यता दी जाए। साथ ही उन्हें इनपुट, ऋण, बाजार लिंकेज, सब्सिडी, आय सहायता, सामाजिक सुरक्षा, आदि के संदर्भ में किसानों को दी जाने वाली मदद का भी हकदार माना जाए।

a) हाशिए पर रहने वाले समुदायों की एकल नारियों के लिए कृषि या घरेलू भूमि के सीमांकन को प्राथमिकता दी जाए। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि महिलाएँ भूमि पर कब्जा करने में

सक्षम बन सकें।

a) ग्राम सभाओं द्वारा आजीविका सुरक्षा के लिए भूमिहीन एकल नारियों को गांवों में सभी खाली पड़ी/अतिरिक्त भूमि आवंटित की जाए, जिससे उन्हें खेती, पशुपालन और अन्य संबंधित गतिविधियों में संलग्न होने का मौका मिल सके।

11.3. यौनकर्मी

एकल नारियों में आमतौर पर किसी साथी या परिवार द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सुरक्षा और सामाजिक समर्थन का अभाव होता है। यह स्थिति उन्हें विशेष रूप से आर्थिक अस्थिरता और शोषण के प्रति संवेदनशील बनाती है। इसके अतिरिक्त, सामाजिक कलंक और कानूनी हाशिये पर होने से उनकी चुनौतियाँ और जटिल हो जाती हैं। लिहाजा, स्वास्थ्य देखभाल और कानूनी सुरक्षा जैसी आवश्यक सेवाओं तक उनकी पहुँच मुश्किल हो जाती है।

a) स्वास्थ्य देखभाल, बच्चों के लिए शिक्षा और नौकरी के अवसरों सहित सार्वजनिक कल्याण सेवाओं तक पहुँच बनाने में यौनकर्मियों के खिलाफ भेदभाव समाप्त करने हेतु कदम उठाए जाएँ।

b) सरकार द्वारा यौनकर्मियों के कल्याण हेतु धन आवंटित किया जाए।

c) बच्चों की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति : कल्याण बोर्ड द्वारा यौनकर्मियों के बच्चों की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति या वित्तीय सहायता कार्यक्रम की पेशकश की जाए।

d) सभी बच्चों के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा का अधिकार सुरक्षित किया जाए : यौनकर्मियों के बच्चे मनोवैज्ञानिक आघात, उत्पीड़न और भेदभाव सहते हैं, खासकर स्कूलों में।

   i स्कूलों में मजबूत धमकाने-विरोधी और भेदभाव-विरोधी नीतियाँ स्थापित की जाएँ।

   il आघात और उत्पीड़न से जूझ रहे बच्चों की सहायता के लिए सुलभ मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की जाएँ।

e) तस्करी की रोकथाम : यौनकर्म के पेशे में धकेले जाने के मकसद से महिलाओं और बच्चों की तस्करी रोकने हेतु गंभीर प्रयास किए जाएँ।

f) वैकल्पिक रोजगार के अवसर : इस पेशे को छोड़ने की इच्छा रखने वाले यौनकर्मियों के लिए वैकल्पिक रोजगार विकल्प प्रदान करने हेतु कार्यक्रम विकसित किए जाएँ। इसमें व्यावसायिक प्रशिक्षण, नौकरी प्लेसमेंट सहायता और उद्यमिता पहल के लिए समर्थन शामिल किया जा सकता है।

12. डायन का ठप्पा

डायन प्रथा को इतिहास और उन भौगोलिक क्षेत्रों में खोजा जा सकता है, जहाँ महिलाओं, बच्चों और कुछ मामलों में पुरुषों पर भी डायन का ठप्पा लगाकर अपमानित या उन्हें बेरहमी से मार दिया जाता है। एक्शनएड एसोसिएशन इंडिया द्वारा तैयार की गई, 'विच ब्रांडिंग इन इंडिया — ए स्टडी ऑफ इंडिजिनस एंड रूरल सोसाइटीज' में दर्ज राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आँकड़ो के हवाले से पता चलता है कि साल 2009 और 2020 के बीच जादू-टोना के आरोपों में 1,623 हत्याएँ अंजाम दी गईं। डायन ब्रांडिंग के मामलों में जहाँ हत्या तक बात नहीं पहुँचती, वहाँ पीड़ितों को अपमान, यातना, भेदभाव और दुर्व्यवहार का शिकार होना पड़ता है। ये अत्याचार जीवित बचे पीड़ितों और उनके परिवारों पर आजीवन प्रभाव छोड़ते हैं।

डायन ब्रांडिंग के व्यापक कारण हैं : इनमें अंधविश्वासों, धार्मिक प्रथाओं, पितृसत्तात्मक और जातिवादी मानदंडों का संयोजन शामिल है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख समूह यौन संबंधों को अस्वीकार करने, या जातिवादी और पितृसत्तात्मक प्रथाओं के खिलाफ आवाज उठाने के लिए समाज के हाशिए पर रहने वाली महिलाओं को दंडित करने के उद्देश्य से डायन ब्रांडिंग का उपयोग होता है। कई मामलों में इसका उपयोग एकल नारियों को संपत्ति और जमीन से बेदखल करने की तकनीक के रूप में भी किया जाता है। डायन ब्रांडिंग के मामलों में समुदायों द्वारा की जाने वाली माब लिंचिंग के कारण जवाबदेही को बनाए रखना कठिन हो गया है। इसके अतिरिक्त, एक मजबूत राष्ट्रीय कानूनी कानून की कमी और गहरी जड़ें जमा चुकी अंधविश्वासी और पितृसत्तात्मक मानसिकता भी इस मानवाधिकार उल्लंघन को बढ़ावा देती है।

डायन ब्रांडिंग के उन्मूलन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। दंडात्मक कार्रवाई और कानून के कुशल कार्यान्वयन के साथ-साथ उस मानसिकता से निपटना भी जरूरी है जो इस प्रथा को बढ़ावा देती है। डायन ब्रांडिंग को रोकने, बचे लोगों के पुनर्वास और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने हेतु एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

12.1. विधायी कार्रवाई

a) वर्तमान में, आठ राज्यों में मौजूदा कानून, इस प्रथा से सुरक्षा, रोकथाम, पुनर्वास और न्याय के मुद्दों को समान रूप से संबोधित नहीं करते। इसलिए, इससे निबटने के लिए राष्ट्रीय कानून लागू करना जरूरी है, जो इससे संबंधित सभी चार कारकों से पर्याप्त रूप से निपटता हो।

b) कानून के कार्यान्वयन के साथ-साथ पीड़ितों की सुरक्षा में राज्य सरकारों की सहायता हेतु एक उच्चाधिकार-प्राप्त जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाए। उक्त समिति एक निगरानी एवं सतर्कता समिति के रूप में भी कार्य करे, तथा कानून के प्रावधानों को लागू करने हेतु प्रभावी उपाय सुझाये।

c) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, अपनी राज्य को दिशा

देने वाली एजेंसियों के जरिए, इस उच्चाधिकार-प्राप्त समिति के सक्रिय सदस्य हों।

d) राज्य सरकारों द्वारा तिमाही आधार पर कानून के तहत दर्ज मामलों की कानून-व्यवस्था स्थिति, विभिन्न समितियों के कामकाज, लोक अभियोजकों, जाँच अधिकारियों और अपराधों से निपटने के लिए विभिन्न कानूनों के प्रावधानों को लागू करने हेतु जिम्मेदार अन्य अधिकारियों के प्रदर्शन और स्थिति की समीक्षा की जाए।

12.2. संस्थागत तंत्र :

a) राज्य सरकारों द्वारा वार्षिक आधार पर विच ब्रांडिंग से ग्रस्त जिलों की पहचान, मानचित्रण, समीक्षा और घोषणा की सुविधा प्रदान की जाए। ऐसे जिलों की पहचान करने हेतु पिछले आँकड़ों को एक संकेतक के रूप में इस्तेमाल किया जाए, जहाँ निर्बल महिलाओं को डायन घोषित करके उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जाता है।

d) जिला प्रशासन और पंचायतों द्वारा ऐसी कमजोर और एकल नारियों की पहचान की जाए, जो जाति, जनजाति, वैवाहिक स्थिति, संपत्ति एवं मानसिक स्वास्थ्य तक पहुँच की कमी के कारण हाशिए पर हैं। सुनिश्चित किया जाए कि उन्हें मुफ्त और पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल, राशन और आर्थिक अवसर उपलब्ध हों।

c) राज्य सरकारों और गृह विभागों द्वारा जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को कानून-व्यवस्था की स्थिति की जायजा लेने और डायन ब्रांडिंग के खतरे का सामना करने वाले कमजोर और संभावित पीड़ितों से मिलने हेतु अपने अधिकार क्षेत्र के तहत चिन्हित क्षेत्रों में त्रैमासिक आधार पर दौरा करने का आदेश दिया जाए।

12.3 सुरक्षा उपाय :

a) जब भी कोई जिला मजिस्ट्रेट या उप-विभागीय मजिस्ट्रेट या कोई अन्य कार्यकारी मजिस्ट्रेट या कोई पुलिस अधिकारी, जो पुलिस उपाधीक्षक के पद से नीचे न हो, किसी व्यक्ति से जानकारी प्राप्त करता है कि उसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कमजोर समुदायों, विधवाओं, बुजुर्ग महिलाओं/व्यक्ति, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदायों के सदस्यों पर कोई अपराध किया गया है, तब उसे अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत अपराध की सीमा, जीवन की हानि, संपत्ति की क्षति का आकलन करने हेतु तुरंत घटना स्थल पर जाना चाहिए और इस संबंध में राज्य सरकार को तुरंत रिपोर्ट सौंपनी चाहिए।

b) जिला मजिस्ट्रेट या उप-विभागीय मजिस्ट्रेट या किसी अन्य कार्यकारी मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक द्वारा पीड़ित परिवार को पुलिस सुरक्षा, पुलिस गश्त बढ़ाने तथा गवाहों और पीड़ितों से सहानुभूति रखने वाले अन्य लोगों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु प्रभावी और आवश्यक कदम उठाए जाएँ।

c) एक श्रेणीबद्ध सामुदायिक न्याय तंत्र विकसित करने हेतु पंचायतों को निश्चित तौर पर शामिल किया जाए, जिसमें वे किसी भी व्यक्ति को डायन करार देने वाले गाँववासी पर जुर्माना लगाएँ या कृत्य की गंभीरता के आधार पर सजा तय करें।

d) पंचायतों और स्थानीय पुलिस द्वारा किसी भी आरोप लगाने वाले के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू की जाए।

e) जिला प्रशासन द्वारा लोक अभियोजकों के माध्यम से कानूनी सहायता का प्रावधान किया जाए।

f) जिला प्रशासन को द्वारा विशेष पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की जाए और कमजोर व्यक्तियों या समुदायों के खिलाफ अपराध घटित होने या होने की आशंका होने पर चिन्हित क्षेत्र में पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाए।

g) राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाए कि डायन ब्रांडिंग के किसी भी अपराध की जाँच पुलिस उपाधीक्षक स्तर से नीचे के पुलिस अधिकारी द्वारा न की जाए। पुलिस द्वारा 30 दिनों के भीतर जाँच की जाए और रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक को सौंपनी जाए। इसकी रिपोर्ट तुरंत पुलिस महानिदेशक को भेजी जाए।

h) राज्य सरकारों और जिला प्रशासन द्वारा डायन ब्रांडिंग से ग्रस्त जिलों में पुलिस बलों का प्रशिक्षण और संवेदीकरण सुनिश्चित किया जाए। पुलिस द्वारा सुनिश्चित किया जाए कि FIR में भारतीय दंड संहिता की प्रासंगिक धाराएँ लागू की जाएँ। डायन ब्रांडिंग के खिलाफ राज्य विशिष्ट अधिनियम द्वारा, जहाँ भी प्रासंगिक हो, अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के साथ संयुक्त रूप से लागू किया जाए।

i) राज्य सरकार के गृह सचिव और समाज कल्याण सचिव, अभियोजन निदेशक, अभियोजन प्रभारी अधिकारी और पुलिस महानिदेशक प्रत्येक तिमाही के अंत तक मामलों में जाँच अधिकारी द्वारा सभी डायन ब्रांडिंग के अपराधों के बारे में जाँच की स्थिति की समीक्षा करें।

j) डायन ब्रांडिंग से ग्रस्त राज्यों की सरकारों द्वारा जिला मजिस्ट्रेटों और पुलिस अधीक्षक या उनके द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारियों, जाँच अधिकारियों और जिम्मेदार अन्य अधिकारियों के कामकाज के समन्वय के लिए राज्य सरकार के सचिव स्तर के नोडल अधिकारियों को नामित करें। डायन ब्रांडिंग को रोकने के लिए अधिनियमों के प्रावधानों को लागू किया जाए।

k) राज्य सरकार द्वारा डायन ब्रांडिंग की शिकार महिलाओं या उनके आश्रितों और गवाहों को यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, रखरखाव खर्च और परिवहन सुविधाएँ प्रदान करने हेतु विधायी प्रावधान सुनिश्चित किए जाएँ।

12.4 सामाजिक सुरक्षा उपाय

a) जिला प्रशासन द्वारा CSO के साथ मिलकर चिन्हित क्षेत्रों में कमजोर व्यक्तियों के लिए माइक्रोफाइनेंस पहल के साथ-साथ वयस्क साक्षरता पहल भी शुरु की जाए।

b) जिन व्यक्तियों को डायन करार दिया जाता है, उन्हें मुख्यधारा के समाज में पुनः शामिल करने से पहले और उसके दौरान परामर्श सेवाएँ प्रदान की जाएँ।

c) केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा पोषण, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा के साथ-साथ रोजगार सृजन गतिविधियों जैसी सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान सुनिश्चित किया जाए।

d) महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं के नाम पर भूमि और संपत्ति हस्तांतरण के मामले में शून्य-स्टांप शुल्क जैसे आर्थिक प्रोत्साहन स्थापित किए जाएँ।

e) राज्य सरकारों द्वारा डायन करार दिए गए किसी भी व्यक्ति को तत्काल मुआवजा देने का प्रावधान किया जाए।

12.5 राज्य और केंद्र सरकारों की जिम्मेदारी

a) जिन राज्यों में डायन ब्रांडिंग प्रचलित है, वहाँ कार्यान्वयन हेतु उचित नियमों के साथ तुरंत इसे व्यापक रूप से संबोधित करने हेतु एक अधिनियम तैयार किया जाए।

b) केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा अपने वार्षिक बजट में डायन प्रथा के पीड़ितों को राहत और पुनर्वास सुविधाएँ प्रदान करने हेतु आवश्यक प्रावधान किए जाएँ।

c) राज्य सरकारों द्वारा एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम दो बार डायन ब्रांडिंग के मामलों में नियुक्त और जिम्मेदार लोक अभियोजक के प्रदर्शन, प्राप्त विभिन्न रिपोर्टों, की गई जाँच और जिला मजिस्ट्रेट, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक द्वारा उठाए गए निवारक कदमों, पीड़ितों को प्रदान की गई राहत, पुनर्वास सुविधाएँ और संबंधित अधिकारियों द्वारा चूक के संबंध में रिपोर्ट की समीक्षा की जाए।

d) राज्य सरकारों द्वारा डायन ब्रांडिंग के खिलाफ कानूनों के प्रावधानों को लागू करने हेतु मॉडल कार्य योजना तैयार की जाए। इनमें विभिन्न विभागों और विभिन्न स्तरों पर उनके अधिकारियों की भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ, ग्रामीण/शहरी स्थानीय निकायों और गैर-सरकारी संगठनों की भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ निर्दिष्ट की जाएँ।

e) राज्य सरकारों द्वारा पिछले कैलेंडर वर्ष के दौरान विभिन्न कानूनों के प्रावधानों और उनके द्वारा बनाई गई विभिन्न योजनाओं को लागू करने हेतु किए गए उपायों के बारे में हर साल केंद्र सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

f) केंद्र सरकार द्वारा पीड़ितों को 'चुड़ैल-शिकार' औरध्या डायन ब्रांडिंग से बचाने हेतु प्रभावी उपायों के लिए राष्ट्रीय कानून और मॉडल नियम तैयार किए जाएँ। ऐसे अपराधों के लिए सजा निर्धारित और सुनिश्चित करके उन्हें यातना, उत्पीड़न, अपमान और हत्या से बचाया जाए। साथ ही, ऐसे अपराधों के पीड़ितों को राहत और पुनर्वास प्रदान किया जाए।

g) केंद्र सरकार द्वारा इस मुद्दे पर संवेदनशीलता, जागरूकता और शिक्षा के माध्यम से डायन ब्रांडिंग और शिकार की प्रथा को खत्म करने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान चलाया जाए। इस अभियान द्वारा उन कारकों को संबोधित किया जाए जो डायन ब्रांडिंग का कारण बनते हैं, जैसे कि जाति, लिंग और जनजाति असमानताएँ, भूमि कब्जा और धोखाधड़ी करने वाले चिकित्सक।

h) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा अपनी संबंधित एजेंसी के माध्यम से वंचित जाति समूहों और जनजातियों की महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए योजनाएँ विकसित करने और उन्हें लागू करने हेतु राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम किया जाए।

12.6 अंधविश्वास और डायन-ब्रांडिंग के खिलाफ जागरूकता फैलाना

a) जिला अधिकारियों और पंचायतों द्वारा जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव खत्म करने हेतु जागरूकता केंद्र स्थापित किए जाएँ। इन जागरूकता केंद्रों में जाति और लिंग पर आधारित मिथकों और अंधविश्वासों से निपटा जाए।

b) राज्य सरकारों द्वारा फर्जी चिकित्सा पद्धतियों और स्वघोषित ओझाओं के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान चलाया जाए।

c) स्थानीय और जिला प्रशासन द्वारा कमजोर व्यक्तियों को उनके अधिकारों, प्रासंगिक राज्य विशिष्ट कानूनों और केंद्रीय और राज्य अधिनियमों या योजनाओं के प्रावधानों के बारे में शिक्षित और संवेदनशील बनाने हेतु चिन्हित क्षेत्रों में कार्यशालाएँ आयोजित की जाएँ।

d) राज्य सरकारों और जिला प्रशासनों द्वारा पुलिस को संदिग्ध धोखेबाज चिकित्सकों और जादू-टोना करने वालों के क्लीनिकों और प्रथाओं का निरीक्षण करने का निर्देश दिया जाए। यदि कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर खुद को योग्य साबित करने में असमर्थ है, तो उन पर जुर्माना लगाया जाए और उनकी प्रैक्टिस बंद कर दी जाए।

e) नागरिक समाज संगठनों, कानूनी चिकित्सकों, महिला अधिकार संगठनों और शिक्षाविदों को जागरूकता बढ़ाने और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को एकजुट करने में शामिल किया जाए।

f) राज्य मानवाधिकार आयोगों द्वारा डायन ब्रांडिंग की रोकथाम और पीड़ितों की सुरक्षा हेतु प्रासंगिक कानूनों के तहत सभी उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठाने की सिफारिश की जाए।